

रूद्राक्ष आवासीय योजना

भूखण्ड के पंजीकरण हेतु विवरण पुस्तिका।

1-योजना और स्थान का विवरण:

यह रूद्राक्ष आवासीय योजना, सर्किट हाउस रोड साहिब जी नगर के पास स्थित है।

2-आवेदन हेतु पात्रता:

- 2.1 आवेदक अनुबंध करने के लिये सक्षम होना चाहिए ओर वयस्कता (18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो)
- 2.2 सभी भारतीय और अनिवासी भारतीयों जिसे भारत सरकार या उ०प्र० सरकार द्वारा किसी भी विशिष्ट नियमों के तहत उ०प्र० में किसी भी अचल सम्पत्ति खरीदने के लिये प्रतिबन्धित न किया गया हो आवेदन के पात्र है।
- 2.3 पात्र व्यक्ति किसी योजना की किसी भी श्रेणी में केवल एक ही आवेदन कर सकता है। कोई भी व्यक्ति इस योजना में एक से अधिक भवन के लिये आवंटन प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं है।
- 2.4 आवेदन उसकी/उसके पति या पत्नि या उसके माता/पिता/भाई/बहन/बेटा/बेटी से पारिवारिक सम्बन्ध के साक्ष्य के सयुक्त आवेदन कर सकते है।
- 2.5 आवेदक उसकी/उसके पति या पत्नि या नाबालिक आश्रित बच्चो के लिये केवल एक ही भवन हेतु आवेदन कर सकते है। यदि यह पाया जाता है कि एक ही आवेदक ने पति या पत्नि या उसके नाबालिक आश्रित बच्चो के लिये एक से अधिक भवन के लिये आवेदन किया है तो उसके सभी आवेदन/आवंटन रद्द कर दिये जायेगे और पंजीकरण राशि जब्त कर लिये जायेगे।
- 2.6 सह आवेदक आवेदन कर सकते है यदि उनसे सीधा पारिवारिक रिश्ता हो (पिता/माता/पुत्र/पुत्री/बहन/पति/पत्नि) इन रिश्तो के अलावा अन्य कोई सह आवेदक के रूप में आवेदन नहीं कर सकता है।

- 5.4 भूखण्ड के पंजीकरण हेतु आवेदन करते समय भूखण्ड के मूल्य का 10 प्रतिशत एवं आवंटन के 45 दिन के अन्दर भवन मूल्य का 15 (कुल 25 प्रतिशत) प्रतिशत जमा करना होगा, जो सहारनपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में सहारनपुर में देय बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर द्वारा ही जमा किया जायेगा।
- 5.5 अवशेष धनराशि का भुगतान एक मुश्त रूप से अथवा एक वर्ष की त्रैमासिक किश्तों में किया जायेगा। एक मुश्त धनराशि जमा करने का अर्थ आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 45 दिन के अन्दर सम्पूर्ण भुगतान किये जाने से है। एक मुश्त भुगतान करने पर भूखण्ड मूल्य पर 05 प्रतिशत छूट अनुमन्य होगी।
- 5.6 लगातार दो किश्ते जमा न करने पर आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- 5.7 आवंटन निरस्त होने पर 30 दिन के भीतर आवंटन पुनर्स्थापित करने हेतु पुनर्स्थापना शुल्क सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 5.8 आवंटन निरस्त होने के उपरान्त निर्धारित समयावधि में पुनर्स्थापना न करने की दशा में कुल जमा धनराशि में से 20 प्रतिशत की कटौती कर ली जायेगी।

6-पट्टा और पट्टा किराये की अवधि:

- 1.भूखण्ड का आवंटन आवंटी को 90 वर्ष के लिये पट्टे के आधार पर किया जायेगा।
- 2.भूखण्ड का आवंटन आवंटी को 90 वर्ष के लिये पट्टे के आधार पर किया जायेगा और पट्टे का किराया पट्टा विलेख के निष्पादन से पहले भूखण्ड में निहित भूमि के मूल्य का 10 प्रतिशत नियमानुसार की दर से एक मुश्त देय होगा।

7-आरक्षण:

शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य होगा किन्तु यदि आरक्षित वर्ग में पर्याप्त आवेदक उपलब्ध नहीं हुए तो सामान्य वर्ग के आवेदकों को भवन आवंटित कर दिये जायेंगे।

8-निरस्तीकरण एवं जमा धनराशि की वापसी:

- 8.1 भूखण्ड के पंजीकरण की तिथि से आवंटन के लिए निर्धारित ड्रा की तिथि के पूर्व धनराशि वापस किये जाने पर कोई कटौती नहीं की जायेगी किन्तु पंजीकरण राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- 8.2 आवंटन के पश्चात पंजीकरण धनराशि की वापसी बिना किसी ब्याज के 20 प्रतिशत कटौती के उपरान्त की जायेगी।
- 8.3 जिन आवेदकों को भूखण्ड आवंटित नहीं हो पाते हैं उनकी पंजीकरण राशि बिना ब्याज के ड्रा की तिथि से 90 दिन के भीतर वापस कर दी जायेगी।

12-सम्पत्ति को बंधक रखने का प्राविधान:

आवंटी को उपाध्यक्ष, सहारनपुर विकास प्राधिकरण की पूर्वानुमति से ऋण प्राप्त करने के लिये सम्पत्ति को बंधक रखने की सुविधा होगी।

13-सम्पत्ति का विक्रय:

लीज-डीड से पूर्व सम्पत्ति का हस्तान्तरण अनुमति नहीं होगा। उपाध्यक्ष, की अनुमति से निर्धारित शुल्क भुगतान करने की दशा में सम्पत्ति विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

14-कर आदि की देयता:

आवंटित सम्पत्ति के सम्बन्ध में नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग द्वारा लगाये गये समस्त कर आवंटी द्वारा देय होंगे।


15-अन्य सामान्य नियम व शर्तें:

- 15.1 निर्धारित शर्तों में परिवर्तन/संशोधन करने का पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष, सहारनपुर विकास प्राधिकरण को होगा।
- 15.2 आवंटन के सम्बन्ध में शासन तथा सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियम व शर्तें तथा उनमें किये गये संशोधन एवं परिवर्तन भी लागू एवं मान्य होंगे।
- 15.3 समस्त विवादों के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।
- 15.4 आवंटन के सम्बन्ध में उत्पन्न विवाद जिला न्यायालय सहारनपुर के अधिकार क्षेत्र में माने जायेंगे।
- 15.5 पंजीकरण हेतु विवरण पुस्तिका में संलग्न आवेदन पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगा तथा आवेदन पत्र अपूर्ण होने की दशा में निरस्त किया जा सकता है।
- 15.6 प्राधिकरण द्वारा घोषित समय में भूखण्ड का कब्जा देने का यथासम्भव प्रयास किया जायेगा परन्तु यदि किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण इसमें विलम्ब होता है तो आवंटी अपनी जमा धनराशि बिना किसी कटौती के वापस लेने के लिए स्वतन्त्र है, परन्तु रजिस्ट्री/कब्जा दिये जाने में विलम्ब के आधार पर कोई अन्यथा दावा मान्य नहीं होगा।
- 15.7 पुराने पंजीकरण मान्य नहीं होंगे।
- 15.8 आवेदक को अपना बैंक एकाउन्ट नम्बर देना अनिवार्य होगा ताकि भूखण्ड आवंटित न होने की स्थिति में जमा धनराशि आपके बैंक खाते के माध्यम से वापस की जा सके।

सहारनपुर विकास प्राधिकरण

हकीकत नगर निकट आई0एम0ए0 भवन, सहारनपुर।

रूद्राक्ष आवासीय योजना में पंजीकरण हेतु आवेदन-पत्र



फार्म संख्या..... पंजीकरण संख्या.....

1. योजना का नाम: रूद्राक्ष आवासीय योजना

2. भुगतान पद्धति:..... कोड:.....

3. भूखण्ड की श्रेणी:..... कोड:.....

4. आरक्षित वर्ग / श्रेणी:..... कोड:.....

5. आवेदक का नाम:.....

.....

6. संयुक्त आवेदक का नाम:.....

.....

7. आवेदक के पिता/पति का नाम:.....

.....

8. संयुक्त आवेदक के पिता/पति का नाम:.....

.....

9. आवेदक का लिंग (पुरुष/स्त्री).....

.....

10. आवेदक की आयु:..... वर्ष

.....

11. संयुक्त आवेदक की आयु:.....

12. पत्र व्यवहार का पता (वर्तमान पता):.....

.....

.....पिन कोड:.....मोबाईल नं0:.....

.....

पत्र व्यवहार का पता (स्थायी पता):.....

.....

.....पिन कोड:.....मोबाईल नं0:.....

.....

13. आरक्षण श्रेणी (प्रमाण पत्र संलग्न करें).....

14. वार्षिक आय रू0:..... अंको में :.....

सहारनपुर विकास प्राधिकरण

शपथ-पत्र का प्रारूप

(शपथ पत्र रू0 10/-के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित हो)

मैं.....

.....पुत्र/पत्नी.....

.....

आयु.....निवासी.....

.....शपथपूर्वक यह बयान

करता/करती हूँ:

1. मैं भारत का /की नागरिक हूँ।
2. मैं आवंटन की सभी शर्तों का पालन करूँगा/करूँगी यदि मेरे द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन किया गया तो प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि मेरा आवंटन निरस्त कर दें और जमा धनराशि जब्त कर लें।
3. भूमि अर्जन में न्यायालय के आदेश द्वारा अथवा अन्य किसी न्यायिक प्रक्रिया में यदि आवंटित भूखण्ड के मूल्य में वृद्धि होगी तो मैं उसका निर्धारित नियमों के अनुरूप पालन करूँगा/करूँगी।
4. मैं समयानुसार निर्धारित तिथियों से पूर्व देयों का भुगतान करूँगा/करूँगी। यदि मेरे द्वारा प्राधिकरण के देयों के भुगतान में कोई विलम्ब किया जाता है एवं प्राधिकरण उक्त के कारण मेरा आवंटन निरस्त करता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
5. आवेदन पत्र में मेरे द्वारा जो तथ्य दर्शाये गये हैं वे सत्य हैं तथा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर.....

आवेदक की प्रति चालान संख्या.....
.....

सहारनपुर विकास प्राधिकरण

हकीकत नगर, सहारनपुर।

बैंक की प्रति चालान संख्या.....

सहारनपुर विकास प्राधिकरण

हकीकत नगर, सहारनपुर।

आवेदक का नाम:.....

.....

योजना का नाम:.....

.....

भूखण्ड की श्रेणी:.....

.....

पंजीकरण धनराशि रू0.....

.....

रूपयें शब्दों में रू0.....

.....

बैंक का नाम एवं शाखा जिसमें पंजीकरण धनराशि जमा
धनराशि जमा

की गयी हैं:.....

.....

.....

बैंक ड्राफ्ट संख्या एवं दिनांक:.....

.....

निर्गतकर्ता बैंक का नाम एवं शाखा:.....

.....

.....

.....

तिथि:.....

आवेदक का नाम:.....

.....

याजना का नाम:.....

.....

भूखण्ड की श्रेणी:.....

.....

पंजीकरण धनराशि रू0.....

.....

रूपयें शब्दों में रू0.....

.....

बैंक का नाम एवं शाखा जिसमें पंजीकरण

की गयी हैं:.....

.....

.....

बैंक ड्राफ्ट संख्या एवं दिनांक:.....

.....

निर्गतकर्ता बैंक का नाम एवं शाखा:.....

.....

.....

तिथि:.....